भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 370

दिनांक 01/12/2021/10 अग्रहायण,1943 (शक) को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों का पूर्वव्यापी संशोधन

370 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की भारत में अपराध 2020 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों को वर्ष 2019 के लिए पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करके 721 मामलों से कम करके केवल 36 मामले किया गया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पूर्वव्यापी संशोधन को सुगम बनाने के पीछे औचित्य का पता लगाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है और राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रति अपराध समेत अपराधों से संबंधित आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। एनसीआरबी सूचित किए गए मामलों में किसी प्रकार की वृद्धि अथवा कमी के कारणों को संकलित नहीं करता है। ये आंकड़े, आंकड़ों के संग्रहण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुसार तैयार किए जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों के बारे में आंकड़े सूचित किए जाने का संबंध है, राज्य ने सूचित किया था कि आंकड़ों की प्रविष्टि में त्रुटि थी और उनमें तद्नुसार संशोधन कर दिया गया था।

*****